HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3841/2026

Suparasmal S/o Laxmipat, Aged About 62 Years, Sardarsahar, Churu Raj. At Present Resident Of 220, Gali No. 06, 3Rd Floor, Kaddakduma Ganv, P.s. Delhi Sahadra (Presently Lodged In Dist. Jail Churu)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Suresh Kumbhat Mr. Naman Bhansali
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Manoj Kumar Pareek

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**सरदारशहर, जिला–चूरू** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **113/2009** अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादी पक्ष के मध्य जो विवाद आया है, वह सिविल विवाद है और इस संबंध में परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में लौटाने हेतु आदेश दिए गए हैं और इस संदर्भ में परिवादी पक्ष द्वारा अभी तक कोई सिविल कार्यवाही नहीं की गई है। इस संदर्भ में अन्य सहअभियुक्त प्रकाश सेठिया व सुबोध सेठिया द्वारा धारा

482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 145/2010 पस्तुत की गई थी, जिसमें आदेश दिनांक 27.03.2017 द्वारा संबंधित याचिका इस आधार पर निस्तारित कर दी गई कि अभियुक्त पक्ष अपने पक्ष को प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण प्रकाश चंद व सुबोध कुमार अग्रिम जमानत याचिका समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2009 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य जो परस्पर विवाद है, वह विवादित भूमि के संदर्भ में उनके स्वामित्व को लेकर है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2009 में पंजीबद्ध हुई है एवं प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 12.03.2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा फर्जी पट्टे के आधार पर संपत्ति का बेचान किया गया है। विवादित भूमि शमशान की भूमि है और इस प्रकार राजकीय भूमि को प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बेचान किया है। उक्त अपराध गंभीर है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्ष 2009 में पंजीबद्ध हुई है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को सर्वप्रथम दिनांक 12.03.2026 को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में अन्य सहअभियुक्त प्रकाश चंद व सुबोध कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाएं समकक्ष पीठ द्वारा वर्ष 2009 में स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के

विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुपारसमल पुत्र लक्ष्मीपत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

36-Yogeshwar Sharma/-